तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 72/ 2020)

'' ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां तथा प्रति– टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 के '' ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड'' के संबंध में परामर्श पत्र पर हितधारकों की टिप्पणियां तथा प्रति– टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। हितधारकों से टिप्पणियां तथा प्रति– टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तथा दिनांक 05 अक्तूबर, 2020 निर्धारित की गई थी।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को कोविड–19 के फैलने के कारण कम किए गए कार्य घंटों के परिदृश्य तथा परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए विशेषज्ञ विश्लेषण की आवश्यकता जैसे कारणों का हवाला देते हुए टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार किए जाने के लिए उद्योग संघों के अनुरोध प्राप्त हुआ था। हितधारकों के अनुरोधों को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लिखित टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 19 अक्तूबर, 2020 तथा प्रति– टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 02 नवम्बर, 2020 कर दिया गया है।

3. हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी टिप्पणियों को अधिमानतः इलेक्ट्रानिक स्वरूप में jams@trai.gov.in और sksinghal@trai.gov.in पर श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भेजें। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए उनसे दूरभाष नम्बर +91–11–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>